

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
पी०ए०पो०षण

(बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति)

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना—800001  
अनुबंध के आधार पर वाहन हेतु निविदा का आमंत्रण

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना कार्यालय हेतु अनुबंध के आधार पर किराया पर वाहन यथा इनोभा (किस्ट), स्कार्पियो, बोलोरो, टाटा सुमो वाहन की आवश्कता है।

1. इच्छुक निविदादाता अलग—अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा कर सकेंगे। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग—अलग सील करने के उपरांत निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/या स्वयं निविदा बॉक्स में दिनांक 30.11.2022 को 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना—800001 के पते पर भेजी जा सकती है।

**2. निविदा के अन्य शर्तः—**

- (i) निविदा की अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी एवं वह अवधि आगे बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना के मात्र प्रबंधन समिति निर्णय के आलोक में वही दर पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए सेवा विस्तार की जा सकती है।
- (ii) निविदादाता के फर्म को किसी भी समय आदेश दिये जाने के उपरात गंतव्य/निर्देशित स्थान के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी।
- (iii) कार्य हेतु स्वीकृत सफल फर्म/ दूर एण्ड ट्रेभ्लस का दर एक वर्ष के लिए मान्य होगी। फर्म द्वारा गाड़ी असमर्थता व्यक्त की जाने की स्थिति में अग्रधन वापस नहीं किया जा सकेगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कारवाई कि जायेगी।
- (iv) निविदा से संबंधित आवश्यक अभिलेख नहीं रहने पर या अपूर्ण अभिलेख देने की स्थिति पर निविदा को अमान्य करार कर दिया जायेगा।
- (v) निविदादाता द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्र/ अभिलेख उनके द्वारा स्व—हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा इसकी मान्यता नहीं दी जायेगी एवं किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र/अभिलेख असत्य पाये जाने पर किसी भी समय इनकी निविदा रद्द करते हुए उनके विरुद्ध न्यायसंगत कारवाई की जायेगी।

- (vi) नियमानुसार सभी करों की कटौती के उपरांत ही मासिक किराया का भूगतान किया जायेगा।
- (vii) सफल निविदादाता को शर्त के अनुरूप एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
- (viii) निविदा में सफल निविदादाता को अनुबंध करने से पूर्व Performance Security Money के रूप में वर्ष में प्राप्त होने वाले अनुमानित कुल राशि का 5% का बैंक ड्राफट / Bank Gaurantee (BG) बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति, पटना के नाम से देय होगा, जो कार्यालय में जमा करना होगा, जो संविदा के समाप्ति के दो महीने के बाद कार्य के संतोषप्रद होने कि स्थिति में लौटाया जायेगा।
- (ix) वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं करने पर औसत दैनिक दर से दोगुनी दर की वसूली निविदादाता से की जायेगी।
- (x) चालक के अस्वस्थ या अनुपस्थित होने पर तत्काल दूसरे चालक/वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
- (xi) वाहन के आवश्यक मरम्मती/अन्य कोई व्यय का वहन निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।
- (xii) अंकित दर सभी करों, (GST को छोड़कर) निबंधन, चालक व्यय, प्रदुषण जाँच, बीमा, मरम्मति, एवं रख—रखाव के साथ मानी जायेगी।
- (xiii) टॉल—टैक्स एवं पार्किंग चार्ज वार्स्तविक खर्च के आधार पर संबंधित मूल अभिलेख/कागजात समर्पित करने पर बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति बिहार, पटना द्वारा भूगतान किया जायेगा।
- (xiv) बिहार राज्य में वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहन ही भाड़े पर लियें जायेंगे। यदि वाहन का वाणिज्यिक निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर वाहन का वाणिज्यिक निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित पूरी जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
- (xv) निविदादाता को अच्छी स्थिति में (Well maintained) वाहन उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी तथा एक साल से ज्यादा पुराना वाहन की सेवा नहीं ली जायेगी। आवश्यकता अनुसार वाहन नया क्रय कर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- (xvi) वाहन परिचालन के दौरान किसी प्रकार की क्षति या आकस्मिक दुर्घटना के लिए समिति जिम्मेवार नहीं होगा।
- (xvii) प्रति—दिन की गणना हेतु मध्यकाल से दूसरे दिन के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगा। यदि वाहन चालक पटना के बाहर किसी अन्य जिला में रात्रि विश्राम करता है तो उसके लिए रात्रि विश्राम हेतु प्रति रात्रि रु0 300/-की दर से राशि देय होगा।

- (xviii) निविदादाता द्वारा वाहन नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में / उपलब्ध कराये गये वाहनों की खराब स्थिति एवं सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा Performance Security Money की जमा राशि का जब्त करने के साथ—साथ उनकी एकरारनामा समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xix) वाहन कि रिपोटिंग समय सक्षम पदाधिकारियों के निदेशानुसार होगी।
- (xx) समिति प्रबंधन को कार्यहित एवं सुविधा की दृष्टिकोण से स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या उससे अधिक फर्म/ टूर एण्ड ट्रेलर्स को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार होगा।
- (xxi) अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय निविदा का संशोधन/स्थगित या रद्द कर सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई भी दावा कहीं भी स्वीकार नहीं होगी।
- (xxii) समिति प्रबंधन को यह सर्वाधिकार होगा कि बिना किसी कारण बतायें किसी भी एक महीना पूर्व की नोंटिस देकर निविदा के अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा एवं इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xxiii) वाहनों का प्रकार एवं संख्या समिति के द्वारा तय कि जायेगी एवं निविदादाता उक्त आदेश को मानने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि किसी के द्वारा आदेश का पालन नहीं करने कि स्थिति में दूसरे निविदादाता को आदेश दिया जा सकेगा साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (xxiv) निविदादाता वाहन का केवल मासिक दर (ईधन रहित) ही अंकित करेंगे।
- (xxv) वाहन का वाणिज्यक निबंधन एवं फर्म/टूर एण्ड ट्रेलर्स का GST होना आवश्यक है। यदि वाहन का वाणिज्यक निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर वाहन का वाणिज्यक निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित पूरी जिम्मेवारी तथा कर एवं अन्य शुल्क देयता की सारी जिम्मेवारी फर्म/टूर एण्ड ट्रेलर्स की होगी।
- (xxvi) वाहन सामान्यतः पटना में चलेगी एवं बिहार के अन्य जिलों में योजना का अनुश्रवण हेतु जायेगी।
- (xxvii) विवाद की स्थिति में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिं, बुद्धमार्ग, पटना-800001 का निर्णय मान्य होगा।
- (xxviii) वाहन चालक का Valid Driving Licence अनिवार्य होगा।
- (xxix) वाहन का सभी आवश्यक अभिलेख यथा बीमा, रोड कर, वाणिज्यक पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(xxx) निविदा में किसी भी प्रकार का वाद—विवाद होने की स्थिति में सचिव, बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति, बिहार, पटना के अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

#### **(क) तकनीकी निविदा**

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात कमशः रखे जायेगें।

- (i) निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेम्लस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कि स्व—अभिप्राप्ति।
- (ii) पैन कार्ड की स्वअभिप्राप्ति।
- (iii) GST, का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्राप्ति छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iv) अग्रधन (EMD), ₹10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक ड्राफ्ट बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति बिहार पटना के नाम से देय होगा। जो निविदादाता MSME के अन्तर्गत आते हैं उन्हे अग्रधन की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। निविदा में असफल निविदादाता को अग्रधन (EMD) की राशि वापस की जायेगी एवं सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि को उनके अनुमानित वार्षिक देय राशि का 5% Performance Security Money से समायोजित की जायेगी।
- (v) निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेम्लस का वार्षिक Turnover 30,00,000/ (तीस लाख रु० मात्र) होने का साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (vi) निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेम्लस का कम से कम तीन वर्ष का किसी सरकारी कार्यालय में वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। निविदादाता फर्म/टूर एण्ड ट्रेम्लस द्वारा सरकारी कार्यालय में चलाये गये वाहन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (vii) MSME (Micro, Small & Medium Enterprises) के अन्तर्गत पंजीकृत सुक्ष्म एवं लघु इकाईयों (Micro & Small Enterprises) को EMD से छूट का प्रावधान है।
- (viii) इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा की उन्हें केन्द्र/राज्य सरकार/किसी अन्य सरकारी संगठन के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

**(ख) मासिक दर हेतु वित्तीय निविदा का प्रारूप**  
**मासिक दर (GST को छोड़कर) ईधन रहित (चालक, वाहन का रख—रखाव सहित)**

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन मॉडल एवं वर्ष (स्पष्ट रूप से अंकित करें )	माईलेज प्रति लीटर	मासिक दर (GST को छोड़कर) ईधन रहित (चालक, रख रखाव आदि सहित)	
				अंको में	शब्दों में
1.	<b>Toyota Innova Crysta (ए०सी०)</b>				
2.	<b>Mahendra XUV 500 (ए०सी०)</b>				
3.	<b>Mahendra Scorpio (ए०सी०)</b>				
4	<b>Mahendra Bolero (ए०सी०)</b>				
5.	<b>Tata Sumo (ए०सी०)</b>				

नोट— 1.आवश्यकता अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है।

2.तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग लिफाफे में देना आवश्यक होगा।

**(ख) दैनिक दर हेतु वित्तीय निविदा का प्रारूप**

दैनिक दर प्रति किलोमीटर (GST को छोड़कर) ईधन सहित (चालक, वाहन का रख—रखाव सहित)

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन मॉडल एवं वर्ष (स्पष्ट रूप से अंकित करें )	दैनिक दर प्रति किलोमीटर (GST को छोड़कर) ईधन सहित (चालक, रख रखाव आदि सहित)	
			दर प्रति किलोमीटर (अंको में)	शब्दों में
1.	स्कार्पियों (ए०सी०)			
2.	इनोभा किस्टा (ए०सी०)			
3.	Mahendra XUV 500 (ए०सी०)			
4	टाटा सुमो गोल्ड (ए०सी०)			
5.	बेलोरो (ए०सी०)			

नोट— 1.आवश्यकता अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है।

2.तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग लिफाफे में देना आवश्यक होगा।

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
पी०एम०पोषण योजना

(बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति)  
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिं. बुद्धमार्ग, पटना-800001  
अनुबंध के आधार पर वाहन हेतु निविदा का आमंत्रण

NIT NO-03/2022-23

"बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति" बिहार पटना कार्यालय हेतु अनुबंध के आधार पर किराया पर वाहन मासिक दर एवं दैनिक दर पर निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा से संबंधित डॉक्यूमेन्ट BRMBYS के Website [www.mdmsbihar.org](http://www.mdmsbihar.org) या BRMBYS कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

1. अग्रधन रु० 10,000/- (दस हजार रुपये) का बैंक झापट जो "बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति" पटना के नाम से देय होगा जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा जमा/प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2022 समय 3.00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/या स्वयं निकिष्ट बॉक्स में सचिव बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग पटना-01 को भेजी जा सकती है। निर्धारित अवधि तक डाले गये निविदा मान्य होगा, विलंब से प्राप्त निविदादाता से निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा दिनांक 30.11.2022 समय 4.00 बजे अपराह्न को "बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति" बिहार पटना कार्यालय में निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। किसी परिस्थिति में यह समय बढ़ने पर इसकी सूचना निविदादाता को दुरभाष/ई०मेंल० के माध्यम से दे दी जायेगी।
4. प्री-बीड मिटिंग दिनांक 23.11.2022 को 4.00 बजे अपराह्न बजे सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, के सभा कक्ष में होगी।
5. सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार, पटना के पास किसी भी समय निविदा को संशोधित अथवा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

8/26/३०/२०२२

सचिव

पी०एम०पोषण

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

बिहार, पटना।

8/26/३०/२०२२